कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 450 दिनांकः– 08.6.17

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।

विषय :– **सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0 एम0 जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :– **झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक 2185 दिनांक 24.05.2017 तत्संबंधी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 2371 दिनांक 31.05.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि राज्य सरकार के उपरोक्त पत्र द्वारा 08 बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन तथा इस कार्यालय के पत्रांक 355 दिनांक 11.05.2017 द्वारा याचित प्रतिवेदन अभिलेख सहित उचित माध्यम से यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

08/6/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

8-6

D:\SUNIL\CCL\KDH (126.72 Ha)\ 126.72 ha

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002

E-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in Phone-0651-2481909 / 2480413

पत्रांकः– 22 पी0 2 03/2017 2371 दिनांकः– 31.5.17

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची।

विषय :– **सी0सी0एल0 के नये प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 है0 वन भूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0एम0 जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– वन विभागीय पत्रांक 2185 दिनांक 24.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। सी0सी0एल0 के समर्पित विषयगत प्रस्ताव के संबंध में विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा आठ (8) बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए संबंधित प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य की मांग की गई है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि तदनुसार विभाग को प्रतिवेदित किया जा सके।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

31.05.2017

मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
राँची।

1301
01/6/17

F:\Drafts\CCL\CCL-KDHesalong 28.95 ha & 126.72 ha/ Query_ED RCCF_30.05.17

MOMENTUM JHARKHAND
The investment destination

पत्र संख्या–वन भूमि–06/2017– 2185 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 24/05/2017

विषय :– सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वन भूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0 एम0 जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–243 दिनांक–29.03.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की समीक्षोपरान्त निम्नांकित त्रुटियाँ/कमियाँ परिलक्षित हो रही है :–

(1) सी0सी0एल0 के के0डी0 हेसालौंग परियोजना के अंतर्गत कुल लीज क्षे. को 717.17 हे0 दर्शाया गया है। 717.17 हे0 का Break up के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1976 तथा वर्ष 2013 में C.B. Act के तहत क्रमशः 326.56 हे0 तथा 158.22 हे0 अर्जित है। वर्ष 1985–86, 1987–88 तथा 1989–90 में क्रमशः 17.19 हे0, 26.78 हे0, 16.35 हे0 तथा 41.71 हे0 Land Acquisition Act के तहत् अर्जित है। वर्ष 1996 तथा 2006 में F.C. Act के तहत् प्राप्त स्वीकृति क्रमशः 101.41 हे0 एवं 28.95 हे0 को भी उक्त विवरणी में जोड़ दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

(2) प्रस्ताव के साथ अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति संलग्न नहीं है।

(3) पूर्व स्वीकृत क्षेत्र में संभवतः सेफ्टी जोन के अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सेफ्टी जोन क्षेत्र के अपयोजन की स्वीकृति भी आवश्यक होगी।

(4) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(5) प्रस्ताव के साथ संलग्न लैंड शिड्यूल तथा FRA के तहत् निर्गत प्रमाण पत्र तथा जंगल–झाड़ के NOC के Plot वार रकबा में अंतर है।

(6) प्रस्ताव के साथ 5 वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण की योजना संलग्न है, जबकि संभवतः 10 वर्षीय योजना समर्पित किया जाना अपेक्षित है।

E/16-वनभूमि LETTER-233 (Mukesh)

(7) प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–4 में प्रस्तावित वनभूमि का घनत्व 0.3 प्रतिवेदित है परन्तु कंडिका–5 में Enumeration of trees के कॉलम में शून्य प्रतिवेदित है, जो स्वतः विरोधाभाषी है।

(8) प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–4 में Eco Class-1 प्रतिवेदित है। Eco Class-I में Tropical Wet Evergreen Forest, Tropical Semi Evergreen Forests andf Tropical Moist Deciduous Forest सम्मिलित है। इसं परियोजना में सन्निहित वनभूमि के Eco Class पर पुनर्विचार आवश्यक प्रतीत होता है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन / अभिलेख / मंतव्य की आवश्यकता है :–

(क) के0डी0एच0 परियोजना से संबंधित कुल लीज क्षेत्र की विवरणी।

(ख) अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति।

(ग) सेफ्टी जोन के अपयोजन का प्रस्ताव।

(घ) प्रस्ताव के साथ समर्पित Land Schedule की वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति तथा इसके अनुरूप FRA प्रमाण पत्र तथा जंगल–झाड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ङ) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य।

(च) दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना।

(छ) वृक्षों की गणना सूची एवं तदनुरूप पार्ट–II की कंडिका–5 में सुधार कर प्रतिवेदन।

(ज) प्रस्ताव की कंडिका–4 में Eco Class की पुर्नजाँच कर, यदि आवश्यक हो तो सुधार कर, संशोधित पार्ट–II की प्रति।

अनुरोध है कि उक्त वांछित प्रतिवेदन / अभिलेख / मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव